

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(9)वित्त/आब/2001 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 02 दिसम्बर, 2020

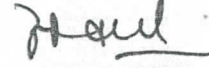
आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संलग्न चुनाव कार्यक्रम में उल्लेखित राज्य के 12 जिलों के 50 नगर निकायों के आम चुनाव नवम्बर-दिसम्बर, 2020 के लिये मतदान दिनांक 11.12.2020 को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः संबंधित नगर निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुये 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि अर्थात् दिनांक 09.12.2020 को सायं 5.00 बजे से दिनांक 11.12.2020 को सायं 5.00 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,



(ऑनकारमल राजोतिया)
संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

E-mail : secraj@rajasthan.gov.in, Ph./Fax : 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ.4(1)(1)नपा/रानिआ/2020/पार्ट-III/ 10653

दिनांक : 04/12/2020

प्रतिलिपि : जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)(नगरपालिका) अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, जोधपुर, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, सिरौही और श्रीगंगानगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव